"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2011—पौष 9, शक 1933

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, डॉ. चमेली ठाकुर पिता श्री चिरंजीव लाल ठाकुर , उम्र 30 वर्ष, निवासी - ग्राम-केहका, थाना व तहसील साजा, जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरा नाम वर्तमान में सभी विभागीय एवं बैंक एकाउण्ट, पालिसी इत्यादि में डॉ. चमेली ठाकुर पिता चिरंजीव लाल ठाकुर दर्ज है.

यह कि मेरी शादी डॉ. गोविन्द सिंह नेटी पिता श्री सम्मार सिंह नेटी, ग्राम धवईपुर, थाना व तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ. ग.) के साथ अप्रैल 2007 में सम्पन्न हुई.

यह कि शादी के उपरान्त मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नाम डॉ. श्रीमती श्रद्धा नेटी रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे डॉ. श्रीमती श्रद्धा नेटी पति डॉ. गोविन्द सिंह नेटी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व समस्त विभागीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

डॉ. चमेली ठाकुर
पिता-श्री चिरंजीव लाल ठाकुर
निवासी-ग्राम केहका, थाना व तह. साजा
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

डॉ. श्रद्धा नेटी
पति-डॉ. गोविन्द सिंह नेटी
निवासी-ग्राम धवईपुर
पो. व तह. कटघोरा
जिला-कोरबा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भागवत राम निषाद पिता स्व. भोंदाराम निषाद , उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी - सेक्टर-5, सड़क-30, मकान नं. 19/एच, भिलाईनगर, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थाई कर्मचारी हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र एवं मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में त्रुटिवश मेरा उपनाम (सरनेम) NISHHAD अंकित हो गया है. यह कि मेरे उपनाम (सरनेम) को सुधार कर NISHAD करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे भागवत राम निषाद (Bhagwat Ram Nishad) पिता स्व. भोंदाराम निषाद के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
Bhagwat Ram Nishhad पिता-स्व. भोंदाराम निषाद निवासी-सेक्टर-5, सड़क-30 मकान नं. 19/एच, भिलाईनगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	Bhagwat Ram Nishad पिता-स्व. भोंदाराम निषाद निवासी-सेक्टर-5, सड़क-30 मकान नं. 19/एच, भिलाईनगर तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उ. ब. कांकेर

कांकेर, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

[छ. ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) व (2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/उपकां/परिसमापन/निरस्तीकरण/2010-11/975.— इस कार्यालय के आदेश क्र. 730 दिनांक 16-11-2009 के द्वारा प्रगति महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कांकेर, (महादेव वार्ड) तहसील कांकेर, जिला कांकेर, जिसका पंजीयन क्र. 480 दिनांक 10-03-2004 है , को छ. ग. सहकारी अधिनियम 1960 की धारा 67 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती हेमलता देशमुख शर्मा, स. वि. अ., कांकेर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न कर के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं सी. एल. ध्रुव, उप पंजीयक , सहकारी संस्थाएं, कांकेर, जिला कांकेर (छ. ग.) छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 7-3/सह./15/2426/ दिनांक 13-06-2001 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 2-12-2011 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. एल. ध्रुव,
उप-पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्रमांक/परिसमापन/2011/672.— कोयलांचल गृह निर्माण सह. समिति मर्या., कोरबा, पंजीयन क्रमांक 98 दिनांक 16-03-2007 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 319, 380 दिनांक 9-6-11 एवं 6-7-11 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, कोयलांचल गृह निर्माण सह. समिति मर्या., कोरबा, पं. क्र. 98/16-3-07 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री व्ही. के. जेहोआश, सह. वि. अधिकारी, कोरबा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

क्रमांक/परिसमापन/2011/673.— विद्युत कर्मचारी गृह निर्माण सह. समिति मर्या., कोरबा, पंजीयन क्रमांक 60 दिनांक 14-01-2005 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक 319, 380 दिनांक 9-6-11 एवं 6-7-11 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं, दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, विद्युत कर्मचारी गृह निर्माण सह. समिति मर्या., कोरबा, पं. क्र. 60/14-1-05 को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री व्ही. के. जेहोआश, सह. वि. अधिकारी, कोरबा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2011.